[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना**

**सं. 27/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतदद्वारा, -

i. आभूषण, जो कि खुदरा ग्राहकों द्वारा दिए गए हों से; या

ii. कीमती रत्न, जो कि खुदरा ग्राहकों द्वारा दिए गए हों, से

निर्मित आभूषणों की वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से उस हद तक की छूट प्रदान करता है जहां तक कि यह इसके मूल्य, जो कि विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा ऐसे आभूषणों को बनाने में लगायी गयी अतिरिक्त सामग्री की कीमत और विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा खुदरा ग्राहकों से वसूले गए श्रम प्रभार के योग के बराबर होता है, पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से अतिरिक्त होता है।

2. एतश्मिन उल्लिखित छूटों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो एक समुचित रिकॉर्ड रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, यथा :-

i. खुदरा ग्राहक का नाम और पता;

ii. आभूषणों की तौल और शुद्धता, कीमती रत्नों की तौल, जो कि खुदरा ग्राहकों द्वारा दिए गए हों;

iii. रसीद संख्या और तारीख;

iv. इश्यू बाउचर की संख्या और तारीख जिस दिन ऐसे आभूषण या कीमती रत्न, कारीगर के पास या स्वयं सर्राफ के परिसर में विनिर्माण के लिए भेजे गए हों; और

v. मूल्यवर्धन जिसमें अतिरिक्त सामग्रियों की कीमत और श्रम प्रभार जो कि सर्राफ द्वारा वसूला गया हो शामिल है, इसमें खुदरा ग्राहक को जारी किए गए बीजक का अलग से उल्लेख करना पड़ेगा।

*स्पष्टीकरण - 1* - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए तौल से अभिप्राय कीमती धातुओं की ग्राम में तौल से तथा कीमती रत्नों के मामले में कैरट से है।

*स्पष्टीकरण- 2-* शंका के समाधान के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति, 'आभूषण' में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कीमती धातु नहीं आएगी जो कि इन वस्तुओं के विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो, को खुदरा ग्राहक द्वारा दिए आभूषणों से भिन्न हो।

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार